~~उपाध्यक्ष~~ / अध्यक्ष महोदय

30.X.90 को प्राधिकरण बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है। यदि कोई संशोधन करना चाहें तो कर दें। तत्पश्चात draft स्वीकृत करवा लिया जाये।

1.XI.90
(सचिव)

2.11.90.

अध्यक्ष/आयुक्त महोदय

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक-30-10-90 का कार्यवृत्त तैयार कर आपके हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

यदि अनुमोदित हो तो कृपया हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

19.11.90
उपाध्यक्ष।

दिनांक-09-11-90 सचिव।

291

मसूरी-देहरादून विकास

उपस्थिति:-

क्रमांक	अधिकार
1-	श्री नागि[illegible]
2-	" [illegible]
3-	B.K. Ba[illegible]
4-	K.N. Kothiyal
5-	Dr. R. P. Yada
6-	B.D. Kandpal
7-	BRIJ B. RATTAN
8-	DINANATH SALVA
9-	Pratap Singh
10-	Er. R. N. Verm
11-	[illegible]
12-	के. एल. साह
13-	के० के० शर्मा
50-	
1[illegible]-	
18-	

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक-30.10.90 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति।

1-**श्री नागिन्दर सिंह,आयुक्त,गढ़वाल मण्डल**----------**अध्यक्ष**
2-श्री गुलबीर सिंह,उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0,----------उपाध्यक्ष
3-श्री प्रताप सिंह,जिलाधिकारी,देहरादून----------सदस्य
4-श्री दीनानाथ सलूजा,अध्यक्ष,नगरपालिका,दे0दून----------सदस्य
5-श्री वी0डी0काण्डपाल,वन संरक्षक,गढ़वाल----------प्रतिनिधिसदस्य
6-श्री के0एन0कोठियाल,अभियंता(एस0ई0आई0)जि0उ0के0दे0दून-------- प्रतिनिधि सदस्य
7-श्री के0के0शर्मा,क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0 प्रदुषण
नियंत्रण बोर्ड,देहरादून----------प्रतिनिधि सदस्य
8-श्री के0एल0शाह,सहायक निदेशक,पर्यटन,दे0दून----------प्रतिनिधि सदस्य
9-श्री बी0के0बनर्जी,अधिशासी अभियंता,सा0नि0वि0----------प्रतिनिधि सदस्य
10-श्री आर0एन0वर्मा,इंजीनियर,9 वां वृत्त,उ0प्र0
जल निगम,देहरादून----------प्रतिनिधि सदस्य

अन्य उपस्थितिः-

1-श्री बी0बी0रतन,सहयुक्त नियोजक,नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग,उ0प्र0,देहरादून।
2-सचिव,मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
3-संयुक्त सचिव,मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरून।
4-अधिशासी अभियंता,(प्रभारी)मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
5-सहायक लेखाधिकारी,मसूरी-देहरून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
6-श्री आर0पी0यादव,मुख्य चिकित्साधिकारी,देहरादून।

विशेष आमंत्रितः-

1-श्री रणजीत सिंह,विधायक,मसूरी।

(ख) गत बैठक की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी। विषय क्रमांक-7 एवं 9 के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्देश देते हुए शेष बिन्दुओं की अनुपालन आख्या सर्व-सम्मति से अनुमोदित की गयी:-

विषय क्रमांक:-7 जो बस स्टैण्ड हेतु ग्राम कांवली-महारानी बाग स्थित 2 एकड़ भूमि अधिग्रहण से मुक्त किए जाने एवं इसके स्थान पर ग्राम कांवली में ही बिन्दाल के समीप लगभग 5 एकड़ भूमि अधिग्रहित अथवा आपसी वार्ता से क्रय करने के सम्बन्ध में है,के बारे में निर्देश दिये गये कि इस मामले में जो स्थल निरीक्षण गठित समिति द्वारा कर लिया गया है,उसकी रिपोर्ट अगली बैठक में अगल से एजेण्डा नोट के साथ संलग्न कर विचारार्थ प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांक:-9 जो रायपुर -गुलरघाटी मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम नथुवावाला में प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु हरित पट्टी में स्थित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में है,के बारे में निर्देश दिये गये कि इस निमित्त बनायी गयी समिति की रिपोर्ट अगली बैठक में अलग से एजेण्डा नोट के साथ संलग्न कर विचारार्थ प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

(ग) गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सर्व-सम्मति से की गयी। पुष्टि स्वरूप आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही पुस्तिका में हस्ताक्षर किये गये।

विषय क्रमांक:-1

श्री गुलबीर सिंह,आई0ए0एस0 की इस प्राधिकरण में शासन द्वारा उपाध्यक्ष पद पर की गयी नियुक्ति पर सभी सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रसन्नता प्रकट की गयी।

विषय क्रमांक:-2

भवन मानचित्रों एवम् वादों की स्थिति:-

भवन मानचित्रों एवम् वादों के निस्तारण की स्थिति पर संतोष प्रकट किया गया।

विषय क्रमांक:-3

सीड कैपिटल 1,56,00,000/- को अनुदान में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

सीड कैपिटल को अनुदान में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया । तद्नुसार शासन को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही स0ले0अ0/सचिव)

विषय क्रमांक:-4

दैनिक वेतन पर डिप्लोमा/डिग्री होल्डर इंजीनियर्स को संहत वेतन दिये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव पर विचार विर्मश हुआ। आम सहमति से यह निर्णय लिया गया कि डिग्री होल्डर इंजीनियर को 2,000/- प्रति माह तथा डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर को रू0 1200/- प्रति माह संहत वेतन दिया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि डिग्री/डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरों को आवश्यकतानुसार निश्चित अवधि के लिये ही कार्य पर रखा जाये।

(वाइस अधिशासी अभियंता/सचिव)

296

विषय क्रमांकः-5

ग्राम अधोईवाला में स्थित ग्राम समाज की 22 बीघा भूमि का प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु पुर्नग्रहण प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी,देहरादून को भेजे गये भूमि पुर्नग्रहण प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही कराने हेतु अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांकः-6

ग्राम सभा अजबपुरखुर्द के अन्तर्गत ग्राम केदारपुर में ग्राम सभा की 12 एकड़ भूमि का प्राधिकरण की आवासीय योजना हेतु पुर्नग्रहण प्रस्ताव।

सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। भूमि पुर्नग्रहण प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु मामले का अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांकः-7

ग्राम जाखन,परगना केन्द्रीयदून,जिला देहरादून स्थित 54.29 एकड़ भूमि अर्जन के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की पूर्व बैठक में दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करके यह सूचित किया गया कि अब केवल 7.10 एकड़ भूमि अबिरल (काम्पेक्ट) क्षेत्र के रूप में स्थल पर उपलब्ध है। विचार विमर्श के बाद सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0 तथा अधीक्षण अभियंता,उ0प्र0 आवास एवम् विकास परिषद स्थल का संयुक्त निरीक्षण करके यह देख लें कि प्राधिकरण द्वारा अर्जन हेतु प्रस्तावित 7.10 एकड़ भूमि की स्थिति क्या है? आवास विकास परिषद द्वारा इस भूमि का अधिग्रहण किया जाना तो प्रस्तावित नहीं है?

यदि आवास विकास परिषद द्वारा प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित नहीं है,तो भूमि अर्जन के मामले पर समग्र रूप से विचार कर सम्यक प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांकः-8

ग्राम कांवली-निरंजनपुर में स्थिति 33.07 एकड़ भूमि को आवासीय योजना हेतु आपसी वार्ता द्वारा क्रय करने विषयक।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। निर्देश दिये गये कि यह देख लिया जाये कि सीलिंग से मुक्त,आपसी वार्ता से जिस भूमि का क्रय किया जाये,वह भूमि निरंजनपुर-कांवली में

क्रमश-----4

प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही मौजूदा आवासीय योजना (इन्दिरापुरम) से लगी हुयी हो तथा अबिरल(काम्पेक्ट) क्षेत्र के रूप में हो। क्रय मूल्य शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा नियमानुसार निर्धारित किया जांये।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांक:-9

भौतिक एवम् वित्तीय कार्यो का विगत तीन वर्षो के विवरण तथा वर्ष-1990-91 के लिये प्रस्तावित कार्यो का विवरण।

भौतक एवम् वित्तीय कार्यो की समीक्षा की गयी। निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिशिचित की जाये। आवासीय योजनाओं में भवन के निर्माण के साथ ही साथ विकास कार्य भी कराये जायें ताकि सम्पत्ति के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न हो। यह भी 'निर्देश दिये गये कि भविष्य में भौतिक एवम् वित्तीय कार्यो का विवरण एम0पी0आर0 में निर्दिष्टि प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाया करें।

(कार्यवाही सहायक ले0अ0/सचिव)

विषय क्रमांक:-10

प्राधिकरण का वर्ष 1990-91 के पुनरीक्षित व वर्ष 1991-92 के अनुमानित बजट अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सर्व-सम्मति से वर्ष 1990-91 का पुनरीक्षित बजट आय रू0-1612.40 लाख व व्यय रू0-1455.80 लाख वर्ष 1991-92 का अनुमानित बजट आय रू0-2133.90 लाख तथा व्यय रू0-1965.20 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्देश दिये गये कि बजट अनुमान के अनुसार आय-व्यय सुनिश्चित किया जाये। बजट की प्रति शासन को प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही सहायक लेखाधिकारी/सचिव)

विषय क्रमांक:-11

'इन्दिरापुरम'में आवासीय योजना में 204 मध्यम आय वर्ग के मकानों एवम् 'नेहरूपुरम' में 102 दुकानों एवम् 26 मकानों के निर्माण की निविदाओं की कार्यत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण कार्य हित में पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गयी निविदाओं पर कार्यत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही सहायक लेखाधिकारी/सचिव)

क्रमश:----5

विषय क्रमांकः-12

ग्राम भारूवाला ग्राण्ट,परगना केन्द्रीयदून,तहसील देहरादून में 'चर्च' के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने सम्बन्धी।

इस मामले पर विचार अगली बैठक तक के लिये स्थगित किया गया।

(कार्यवाही सचिव/संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांकः-13

श्री प्रेम कश्यप द्वारा ग्राम बकरालवाला में प्रस्तावित निर्माण मानचित्र के सम्बन्ध में।

निर्देश दिये गये कि इस मामले को अगली बैठक में विचार हेतु पुनः प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही सचिव/संयुक्त सचिव)

विषय क्रमांकः-14

मसूरी महायोजना के सम्बन्ध में।

इस विषय पर नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग द्वारा प्रकाश डाला जाना था परन्तु मुख्य नगर एवम् ग्राम नियोजक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। सहयुक्त नियोजक,नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0,गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,देहरादून द्वारा बताया गया कि वे इस बैठक में नामित सदस्य के रूप में नहीं है। निर्णय लिया गया कि शासन/मुख्य नगर एवम् ग्राम नियोजक से सहयुक्त नियोजक,देहरादून को प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने हेतु सदस्य के रूप में नामित करने का अनुरोध किया जाये।

सहयुक्त नियोजक,देहरादून ने बैठक को यह जानकारी दी कि मसूरी स्थित निजी वन एस्टेट के सीमांकन का कार्य अभी तक न होने के कारण मसूरी महायोजना के प्रारूप प्लान बनाने की दिशा में अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं हो सकी है। निजी वन एस्टेट के सीमांकन का कार्य उप वन संरक्षक कार्यालय मसूरी द्वारा किया जाना है तथा उन्होंने यह सूचित किया कि सर्वे आफ इंडिया की कमी के कारण अभी तक इस कार्य को प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है। इस महत्वपूर्ण कार्य में हो रहे विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुये उपाध्यक्ष,मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने यह सुझाव दिया कि वन विभाग यह कार्य किसी प्राईवेट एजेन्सी के माध्यम से भी सम्पन्न करा सकता है। इस सुझाव पर सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्णय लिया गया कि यह कार्य निम्नांनुसार गठित अधिकारियों की समिति के मार्ग-निर्देशन में किया जाये:-

क्रमश-----6

1-परगनाधिकारी,मसूरी अथवा उनका प्रतिनिधि।
2-उप वन संरक्षक,मसूरी वन प्रभाग,मसूरी।
3-अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका,मसूरी।
4-सहायक नगर नियोजक,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून।
5-सर्वे आफ इंडिया।

निर्देश दिये गये कि वन एस्टेट्स के सीमांकन का कार्य एक माह में पूर्ण करके मसूरी महायोजना के ड्राफ्ट मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

विषय क्रमांकः-15

श्री दिगम्बर प्रसाद लखेड़ा के प्रार्थना-पत्र के क्रम में भूउपयोग परिवर्तन संबंधी।

इस मामले में यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की दिनांक 10.7.90 की बैठक में भूउपयोग परिवर्तन हेतु गठित समिति से परीक्षण कराकर आख्या अगली बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही स0नि0नि0/सचिव)

विषय क्रमांकः-16

ग्राम सेवलाकलां स्थित भूमि खसरा नं0-,36/2 एवं 38 का भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धी।

सहयुक्त नियोजक,नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,देहरादून द्वारा बैठक को यह बताया गया कि प्रश्नगत खसरा नम्बरों का भूउपयोग देहरादून नगर महायोजना में 'आवासीय'ही है,अतः भूउपयोग परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्देश दिये गये कि प्रकरण का पुनरीक्षण कर लिया जाय। यदि भूउपयोग परिवर्तन का मामला निहित हो तो प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-7-90 में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु गठित समिति की जांच आख्या के साथ मामले को पुनः प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही स0नि0नि0/सचिव)

विषय क्रमांकः-17

होटल पैवेलियन के निर्माण मानचित्र के सम्बन्ध में।

इस प्रकारण पर विचार किया गया। प्राधिकरण की दिनांक 21-4-90 की बैठक में भी यह मामला प्रस्तुत किया गया था तथा यह निर्देश दिये गये थे कि सहयुक्त

क्रमशः------7

नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0,गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,देहरादून से परीक्षण कराकर आख्या बैठक में प्रस्तुत की जाये। सहयुक्त नियोजक ने अन्य आपत्तियों के अलावा एक आपत्ति यह भी लगायी है कि प्रस्तावित भूखण्ड लगभग 3 मीटर का क्षेत्र मार्गाधिकार में है,अतः यह निर्माण पूर्णतः माल रोड़ पर ही स्थित है जबकि आवेदक का कहना है कि माल रोड़ पर न होकर यह निर्माण किक्रेग व लायब्रेरी के बीच की भूमि में स्थित है,अतः किक्रेग मानते हुये स्वीकृति दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष,विकास प्राधिकरण,सहयुक्त नियोजक,देहरादून एवम् परगनाधिकारी मसूरी सयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर लें तथा निरीक्षण आख्या पर प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

विषय क्रमांकः-18:-

मैं0शिवा कान्सट्क्शन कं0 द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक निर्माण मानचित्र के संबंध में।

अध्यक्ष,नगरपालिका,देहरादून द्वारा इस निर्माण मानचित्र को स्वीकृत करने पर कतिपय आपत्तियां प्रकट की गयी तथा मामले को प्राधिकरण की अगली बैठक में रखने का अनुरोध किया गया। निर्देश दिये गये कि पुनः मौके की स्थिति देख ली जाय तथा शासनादेश सं0-3813/37-3-90-18 एलयूस 1/87 दिनांक 4-10-90 के प्रकाश में भी परीक्षण कर लिया जाये। आख्या आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही सं0न0नि0)

विषय क्रमांकः-19:-

मैं0बासुधा एस्टेट के फार्म हाऊस के तलपट मानचित्र के संबंध में।

इस मामले पर विचार-विमर्श के दौरान यह शंका प्रकट की गयी कि सम्बन्धित फर्म द्वारा 'ग्रीनबेल्ट' में फार्म हाऊस की आड़ में आवासीय निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष,म0दे0वि0प्रा0,सहयुक्त नियोजक,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0,देहरादून तथा अपर जिलाधिकारी (प्र0) स्वयं संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करके प्रकरण का समग्र रूप से परीक्षण करके अपनी संस्तुति प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही स0नि0नि0)

विषय क्रमांकः-20:-

यमुनावैली इंजीनियर्स को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत 'कालिन्दी एन्कलेव' के लेआऊट के सम्बन्ध में भूउपयोग परिवर्तन प्रस्ताव।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15-5-89 में अपर जिलाधिकारी (प्र0) द्वारा सुझाव दिया गया था कि ग्राम अजबपुरकलां में राज्य सरकार की खाली पड़ी भूमि पर शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालयों को निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो सकती है अतः 'कालिन्दी एन्कलेव' का तलपट मानचित्र जिस स्थल हेतु प्रस्तुत किया गया है,उसका भूउपयोग शासकीय/अर्द्धशासकीय से बदलकर आवासीय किया जा सकता है। भूउपयोग के 'इण्टरचेंज' का मामला प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-12-89 में विचारार्थ रखा गया था तथा इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्र0) द्वारा सूचित किया गया कि इस सोसाईटी के कार्य कलापों के सम्बन्ध में जांच लम्बित है। अब अपर जिलाधिकारी (प्र0) ने अपने पत्र दिनांक 13-7-90 द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त सोसाईटी की जाचं करने हेतु शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैंअतः

अतः इस सोसाईटी के विरूद्ध कोई जांच नहीं चल रही है;

निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी,देहरादून इस सम्बन्ध में अपने स्तर से पुनः पुष्टि कर लें तथा अपर जिलाधिकारी (प्र0) द्वारा ग्राम अजबपुरकलां में शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों हेतु सुझायी गयी भूमि के भूउपयोग परिवर्तन के बारे में भी अपनी राय उपलब्ध करायें

(कार्यवाही स0नि0नि0/सचिव)

विषय क्रमांकः-21:-

ग्राम कांवली में अस्पताल व डिग्री कालेज हेतु आरक्षित भूमि का भूउपयोग परिवर्तन।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक-21-4-90 में इस विषय पर विचारोपरान्त यह निद्रेश दिये गये कि कालोनाईजर को गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके तलपट मानचित्र स्वीकृत कराने के लिये कारण बताओं नोटिस भेजा जाये। कालोनाईजर को नोटिस भेजा गया परन्तु उसके द्वारा अभी तक इस नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है। यह भी सूचित किया गया कि प्रश्नगत स्थल के चारों ओर मकान बने हुये हैं। यह निर्देश दिये गये कि इस मामले में भूउपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित गठित समिति हर पहलू का भलीभांति परीक्षण करके अपनी आख्या प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि अपर जिलाधिकारी (वित्त) को सूचित किया जाये कि वे प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमियों की रजिस्ट्री करते समय क्रेता से इस आशय का शपथपत्र लें ले कि वे क्रय की गयी भूमि का उपयोग देहरादून नगर महायोजना में निर्दिष्ट उपयोग हेतु ही करेंगे। भूउपयोग की जानकारी क्रेता/विक्रेता द्वारा प्राधिकरण के कार्यालय में निर्धारित शुल्क तथा आवेदन-पत्र जमा कराने पर उपलब्ध करायी जाती है,जिसे अपर जिलाधिकारी (राजस्व) क्रेता/विक्रेता से भूउपयोग प्रमाण के रूप में ले सकते हैं।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

अनुपूरक विषय क्रमांक-1 एवं-2:-

शमन शुल्क तथा विकास शुल्क की पुनरीक्षित दरों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये

निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण को विस्तृत विचार-विर्मश हेतु आगामी बैठक में पुनः पुस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही स0न0नि0/सचिव)

अनुपूरक विषय क्रमांकः-3:-

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को आवासीय किराये की स्वीकृति।

उपाध्यक्ष निवास हेतु रू0-2,750/- का मासिक किराया देने का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही सचिव/संयुक्त सचिव)

अनुपूरक विषय क्रमांकः-4:-

महानिदेशक पर्यटन को प्राधिकरण का सदस्य नामित करने के सम्बन्ध में।

निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही सचिव)

मसूरी में निर्माणाधीन झील से लगी हुयी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। कमेटी द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु संस्तुति की है। विचारोपरान्त भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही संयुक्त सचिव)

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों/अधिकारियों को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(सुनिष्ठा सिंह)
सचिव।

(गुलबीर सिंह)
उपाध्यक्ष।

(नागिन्दर सिंह)
आयुक्त/अध्यक्ष।

27/12